तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज पदमसिह राजपुरोति बनाम श्रवणसिह वगैरा धारा 188, प्रकरण सख्या 80/2024	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/11/2024	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। पत्रावली मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा आदेश 07 नियम 11 के प्रार्थना पत्र मे वर्णित किया गया है कि प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मे न्यायालय के क्षेत्राधिकारी नही है क्योकि वाद पत्र वाद इकरानामा के आधार पर प्रस्तुत किया गया जिसका राजस्व वाद से कोई लेना देना ही नही है एव न ही उक्त इकरानामा को लेकर रेवेन्यू वाद प्रस्तुत किया जा सकता है इकरानामा को लेकर घोषणा का वाद सिविल न्यायालय मे प्रस्तुत किया जाना चाहिए न कि राजस्व न्यायालय मे लेकिन वादी प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा कुटरचित इकरानामा निष्पादित कर उक्त वाद प्रस्तुत किया जो काबिल खारिज हैं वादी की और से मौजूदा वाद एक फर्जी जाली एव कुटरचित इकरारनामे के आधार पर प्रस्तुत किया है जो इकरारनामा प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा निष्पादित नही किया गया एव न ही उक्त इकरारनामा की रूह से प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा कोई राशि प्राप्त की गई सुस्थापित नियम है कि राजस्व संबंधी वाद राजस्व न्यायालय मे प्रस्तुत किए जा सकते है एव कोई भी बेचान इकरारनामा बेचाननामा को लेकर स्थाई निषेधाज्ञा का वाद सिविल न्यायालय मे प्रस्तुत किया जा सकता है परतु वादी द्वारा उक्त वाद माननीय न्यायालय मे पेश किया जो चलने लायक नही है वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार एव क्षैत्राधिकार प्राप्त नही होने तथा उक्त वर्णितानुसार तथ्यो के कारण वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 7 नियम 11 सीपीसी प्रावधानो के अनुसार पेश नही किया गया जो खारिज योग्य है इस आधार पर प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा ऐसी स्थिति मे धारा 7 नियम 11 सीपीसी के तहत उपरोक्त वाद विधि द्वारा वर्जित होने से वादपत्र नांमजूर किया जाने का निवेदन किया गया । अधिवक्ता वादी द्वारा आदेश 07 नियम 11 के प्रार्थना पत्र का जबाव मे प्रस्तुत वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए बहस मे कथन किया गया कि प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे घोषणा का वाद प्रस्तुत करने बाबत कथन किया है जबकि वादी द्वारा श्रीमान के समक्ष घोषणा का दावा प्रस्तुत नही किया गया है इसलिए प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा वर्णित तथ्यो के आधार पर भी आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद जो श्रीमान के समक्ष पेश किया गया श्रवणधिकार एव क्षैत्राधिकार मे है क्योकि प्रतिवादी संख्या 01 व प्रतिवादी 02 आपस मे पिता पुत्र है तथा इन दोनो द्वारा मिली भगत कर दिनाक 30.07.2024 को निष्पादित आम मुख्तयारनामा निरस्त कर दिया गया है जो वाद प्रस्तुत करने के बाद किया गया जो स्पष्ट रूप से प्रतिवादीगण द्वारा आपस मे मिली भगत कर उक्त भूमि के बाबत दस्तावेज निष्पादित करवा दिये है जिससे वादी के अधिकारो का हनन होगा जिसका आंकलन किया जाना सभव नही है। इस आधार पर ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज किया जाने का निवेदन किया गया। बहस पर मनन किया गया पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया वादी ने अपने वाद पत्र मे अस्थाई निषेधाज्ञा इकरारनामा के आधार पर प्राप्त करने हेतु वाद पेश किया गया जो 2019(2) आरआरटी 1100 मे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फोर राजस्थान अजेमर के हीराराम बनाम प्रताबी बाई आदेश मे भी इकरारनामा के आधार पर घोषणा का अनुतोष चाहा गया जो प्रावधित प्रावधानो के अनुसार राजस्व न्यायालय मे संधारण योग्य नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होना प्रतीत होने से प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण का वाद पत्र नांमजूर का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	

उपखण्ड अधिकारी लूणी